

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ.4(ई)/(आर-102/92)/अलेसे -III/ 216-223

दिनांक :- 13/2/2015

आदेश संख्या: 146/2014-15

श्री दिनेश नन्दन शर्मा, (लिंक नं. 4605) कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय सहायक आबकारी अधिकारी, अलवर को राज्य अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा ट्रेप किये जाने एवं अपराध संख्या 313/2011 पंजीबद्ध किये जाने के कारण विभागीय आदेश संख्या 7421-29 दिनांक 02.09.2011 के द्वारा दिनांक 19.08.2011 से निलम्बित माना गया था।

श्री दिनेश नन्दन शर्मा, (निलम्बित) कनिष्ठ लेखाकार के संबंध में कार्मिक (क-3) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2 (157) कार्मिक/क-3/97 दिनांक 07.07.2010 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अनु.3) की आज्ञा क्रमांक प.6(23)प्र.सुं./अनु/3/99/दि0 12.01.2011 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कर्मचारियों/अधिकारियों की निलम्बन से बहाली हेतु समीक्षा बैठक दिनांक 16.01.2015 को शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक प.2 (8) वित्त/राजस्व/14/दिनांक 28.01.2015 के द्वारा निलम्बन से बहाली का निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप श्री दिनेश नन्दन शर्मा, (निलम्बित) कनिष्ठ लेखाकार को निलम्बन से बहाल किया जाता है।

निलम्बन अवधि का निर्णय न्यायालय निर्णय के अध्वधीन किया जावेगा।

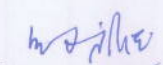

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक एफ.4(ई)/(आर-102/92)/अलेसे -III/ 216-223

दिनांक :- 13/2/2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. कोषाधिकारी, अलवर।
3. उपकोषाधिकारी, बहरोड़ (अलवर)।
4. श्री दिनेश नन्दन शर्मा, (लिंक नं. 4605) कनिष्ठ लेखाकार मुख्यालय उपकोषालय, बहरोड़ (अलवर)।
5. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु)।
6. निजी सहायक निदेशक महोदय।
7. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली/श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, सहायक लेखाधिकारी-II कार्यालय हाजा।


(जसवन्त सिंह)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)